कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट:www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

ए-33/11/02/2009(भाग-2) 06.09.2025

परिपत्र

विषय : वर्ष (2024-25) की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और उसके अनुरक्षण के संबंध में।

कृपया परिपत्र दिनांक 24.03.2025, 09.05.2025, 16.05.2025 और 30.07.2025 का संदर्भ लें जिसमें सभी क्षेत्र इकाइयों और अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया गया था कि वे स्पैरो पोर्टल के माध्यम से वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कार्मिक एवं पशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करें।

बार-बार अनुदेश देने के बावजूद भी यह देखा गया है कि अभी भी लगभग 10,500 वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न चरणों में लंबित हैं, जबकि इन कार्यकलापों की निर्धारित तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

क्र.सं.	जहाँ लंबित हैं	लंबित एपीएआर की संख्या
1	रिपोर्ट करने वाले अधिकारी के पास लंबित	578
2	रिपोर्टिंग अधिकारी के पास लंबित	3519
3	दोहरी रिपोर्ट के कारण लंबित	15
4	पुनरीक्षण अधिकारी के पास लंबित	3527
5	समापन हेतु सीआर अनुभाग के पास लंबित	2873

उपर्युक्त के आलोक में, सभी संबंधितों को एतदद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल कार्रवाई करें और दिनांक 15.09.2025 तक स्पैरो पोर्टल के माध्यम से वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समापन करना और प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यह दोहराया जाता है कि अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रीय इकाइयों और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अभिरक्षकों को भी निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर पर उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन को मॉनीटर करें और कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी समय-सीमा और कार्यविधि का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

राजेश यादव
उप निदेशक(स्था.I)

प्रति,

1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. सभी प्रभागीय प्रमुखों को सूचनार्थ।
3. आंचलिक बीमा आयुक्तों/आंचलिक चिकित्सा आयुक्तों को सूचनार्थ।
4. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/संयुक्त निदेशकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. क.रा.बी.निगम अस्पतालों तथा क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों/ क.रा.बी.निगम चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालयों/ स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अधिष्ठाता (डीन) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. उप निदेशक स्थापना-V, मुख्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. चिकित्सा विभागीय पदोन्नति समिति, मुख्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फ़ाइल/अतिरिक्त प्रति।